ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

– आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ग्रेवाड़ी भू.आ.नि मेहदुलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम आजणा तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत 2077 में खाता संख्या 180 में वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है –

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	आजणा	180	सोकी पत्नी स्व. बड़ी मील हिस्सा 1/63 M.A.S.B. शाखा धनेरिया	सोकी पत्नी स्व-बड़ी मील हिस्सा-1/63 R.A.B. शाखा धनेरिया

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक–381
प्रतिलिपि –

दिनांक :– 16/10/25

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री .....
3. रक्षित पत्रावली।

..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर